भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 578

सोमवार, 06 फरवरी, 2023/17 माघ, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

578. **श्री संजय काका पाटीलः**
श्री बालाशौरी वल्लभनेनीः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लक्ष्यों और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त लक्ष्यों और समय-सीमा के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि कई नियोक्ता और कर्मचारी जागरूकता की कमी के साथ-साथ इसमें शामिल जटिलताओं के कारण आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत लाभ से वंचित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत पात्रता शर्तों को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए संशोधित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 71.80 लाख सदस्यों को लाभान्वित करना था। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी और इस योजना तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कुल पंजीकरण 75.11 लाख है।

एबीआरवाई के तहत पंजीकृत प्रत्येक प्रतिष्ठान/नए-कर्मचारी जो पात्रता मानदंड को पूरा कर रहे थे, उन्हें योजना के तहत लाभान्वित किया गया। दिनांक 24.01.2023 को 1.51 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 60.26 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

इसके साथ-साथ, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं होने वाले नियोक्ताओं को ईपीएफओ के नियोक्ता पोर्टल पर मैंसेज के माध्यम से सूचित किया गया था।
ii. ईपीएफओ के जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नियोक्ताओं/नियोक्ता संघों के साथ वेबिनार आयोजित किए गए।
iii. सोशल मीडिया आउटरीच के माध्यम से जागरूकता।
iv. उन प्रतिष्ठानों जो अतीत में आवश्यक मानदंडों को पूरा कर चुके हैं, लेकिन एबीआरवाई के तहत पंजीकृत नहीं हैं, को शिक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित प्रयास किए गए हैं।
v. एबीआरवाई के तहत नियोक्ताओं को पंजीकरण की अंतिम तिथि के बारे में सूचित करने और पंजीकरण के लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए एसएमएस।
vi. सृजनात्मक के माध्यम से वेबसाइट पर प्रचार।

*****